अवयस्क रोगी परिवार निधि
नियम व शर्तें

(पूर्व में, नवजात व्यय निधि (नियोनेटल एक्सपेंसेज़ फ़ंड))

Scottish Government
Riaghaltas na h-Alba
gov.scot

मार्च 2022

अवयस्क रोगी परिवार निधि

मार्च 2022

जारी होने का दिनांक: मार्च 2022
रचयिता: स्कॉटलैंड सरकार
संस्करण: 2

विषय-वस्तु

1	इस दस्तावेज़ के बारे में	3
2	मुख्य शब्दों की शब्दावली – परिभाषाएँ	3
3	परिचय	3
4	सिद्धांत	3
5	कौन व्ययों का दावा कर सकता है	4
6	कौन व्ययों का दावा नहीं कर सकता है	4
7	कौन-कौन से व्ययों का दावा किया जा सकता है	5
8	कौन-कौन से व्ययों का दावा नहीं किया जा सकता है	6
9	अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ	6
10	दावा करना	6
11	पूछताछ या शिकायतें	7

1. इस दस्तावेज़ के बारे में

इस दस्तावेज़ में 26 जुलाई, 2021 से अवयस्क रोगी परिवार निधि (यंग पेशेंट्स फ़ैमिली फ़ंड, YPFF) के तहत व्ययों का दावा करने के नियम और शर्तें हैं। यह दस्तावेज़ निधि से संबंधित कार्य कर रहे NHS स्टाफ़ (जैसे, वित्त स्टाफ़, नवजात इकाई स्टाफ़, बाल वार्डों में कार्यरत स्टाफ़, वयस्क वार्डों में कार्यरत वह स्टाफ़ जो 18 वर्ष से कम आयु वाले अवयस्क रोगियों की देखभाल कर रहा है) और उन आमजनों के लिए है जो इस निधि के तहत दावा करना चाहते हैं।

इसमें YPFF के विवरण की रूपरेखा है। इस निधि का व्यवस्थापन करने वाले और इसके तहत दावा करने वाले लोगों को स्वयं को इस दस्तावेज़ से परिचित हो लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दावे, निधि की सीमा के भीतर किए गए हैं।

2. मुख्य शब्दों की शब्दावली - परिभाषाएँ

अवयस्क भर्तीरोगी (यंग इनपेशेंट) - इसका अर्थ किसी ऐसे शिशु, बच्चे या 18 वर्ष तक की आयु के अवयस्क व्यक्ति से है जिसे किसी अस्पताल में उपलब्ध स्टाफ़-युक्त बेड पर भर्ती किया गया है (ऐच्छिक रूप से या आपातकालीन स्थिति में) और वह या तो: पूरी रात वहाँ बना रह सकता है, भले ही मूल इरादा कुछ भी हो; या उसके लिए पूरी रात वहाँ बने रहना अपेक्षित है पर उसे उससे पहले छुट्टी दे दी जाती है।

दावाकर्ता – ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निधि के तहत दावा करना चाहता है।

शिशु/बच्चा/18 वर्ष की आयु तक का अवयस्क व्यक्ति – अस्पताल की देखभाल में मौजूद वह पात्र नवजात शिशु, बच्चा या अवयस्क व्यक्ति जिसे उपचार मिल रहा है।

पात्र आगंतुक – किसी अवयस्क भर्तीरोगी से मिलने आने वाला कोई आगंतुक जो अवयस्क रोगी परिवार निधि के तहत दावे के लिए पात्र है, यानि माता/पिता/प्राथमिक देखभालकर्ता या 18 वर्ष से कम आयु का भाई/की बहन जो साधारणतः स्कॉटलैंड का/की निवासी है।

माता/पिता/प्राथमिक देखभालकर्ता – अवयस्क भर्तीरोगी की जैविक माता या जैविक पिता या ऐसा व्यक्ति जो हालाँकि अवयस्क भर्तीरोगी की जैविक माता या उसका जैविक पिता नहीं है पर उस पर अभिभावकीय ज़िम्मेदारी है और इसलिए वह उक्त रोगी की देखभाल और उसके पालन-पोषण के लिए ज़िम्मेदार है।

संबंधित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर – उपचारी अस्पताल का क्लीनिकल स्टाफ़।

भाई/बहन – अवयस्क भर्तीरोगी का भाई या बहन। इस परिभाषा में सौतेले भाई-बहन और आधे-सगे भाई-बहन भी शामिल हैं।

3. परिचय

अवयस्क रोगी परिवार निधि (जो पूर्ववर्ती नवजात व्यय निधि (नियोनेटल एक्सपेंसेज़ फ़ंड, NEF) का एक विस्तार है) को माता/पिता/प्राथमिक देखभालकर्ताओं और साथ में जो भी 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन हों उनको, अस्पताल में 18 वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क भर्तीरोगी से मिलने आने से जुड़ी लागतों के संबंध में सहायता देने के लिए तैयार किया गया है।

4. सिद्धांत

व्यय दावों की प्रतिपूर्ति करते समय निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे।

a) अवयस्क रोगी परिवार निधि को अस्पताल में भर्तीरोगी देखभाल प्राप्त कर रहे किसी अवयस्क रोगी से मिलने आने की लागत के मद में अंशदान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है और आवश्यक नहीं कि यह निधि इस समय के दौरान समस्त यात्रा, निर्वाह और/या ठहराव-व्यवस्था की पूरी लागत हमेशा प्रदान कर पाए।

b) अवयस्क भर्तीरोगी के माता/पिता/प्राथमिक देखभालकर्ता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन इस निधि के तहत दावा कर सकते हैं।

c) भर्तीरोगी देखभाल का अर्थ किसी ऐसे बच्चे या 18 वर्ष तक की आयु के अवयस्क व्यक्ति से है जिसे किसी अस्पताल में उपलब्ध स्टाफ़-युक्त बेड पर भर्ती किया गया है (ऐच्छिक रूप से या आपातकालीन स्थिति में) और वह या तो: पूरी रात वहाँ बना रह सकता है, भले ही मूल इरादा कुछ भी हो; या उसके लिए पूरी रात वहाँ बने रहना अपेक्षित है पर उसे उससे पहले छुट्टी दे दी जाती है।

d) दावे अस्पताल में किसी जारी ठहराव के दौरान क्रमिक ढंग से (जैसे, हर सप्ताह) जमा किए जा सकते हैं या फिर जिस वार्ड में बच्चे या अवयस्क व्यक्ति को जारी उपचार मिल रहा है वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद संपूर्ण ठहराव के लिए एक बार में पूरा दावा किया जा सकता है।

e) दावाकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे यात्रा की संपूर्ण लागत को ध्यान में रखते हुए, परिवहन के सबसे किफ़ायती और उचित साधनों का उपयोग करें।

f) यात्रा के सबसे उचित साधन पर अंतिम निर्णय उस NHS बोर्ड का होगा जिसमें बाल भर्तीरोगी को देखभाल मिल रही है। यदि दावाकर्ता को कोई संशय है तो यात्रा से पहले जाँच कर लेना उसी की ज़िम्मेदारी है।

g) NHS बोर्डों के पास पात्र आगंतुकों के लिए यात्रा और/या ठहराव-व्यवस्था को पहले से बुक करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में, पात्र आगंतुक अलग से यात्रा और/या ठहराव-व्यवस्था बुक नहीं कर सकेंगे।

h) केवल वास्तविक व्यय का दावा किया जा सकता है। उपगत नहीं हुए व्ययों का दावा करना धोखाधड़ी है और धोखाधड़ीपूर्ण दावे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

i) समस्त सार्वजनिक परिवहन, ठहराव-व्यवस्था (जहाँ अस्पताल ने अग्रिम में बुकिंग और भुगतान न किए हों) और पार्किंग के लिए बिंदु-वार व्यय दर्शाने वाली रसीदों के रूप में साक्ष्य संभाल कर रखने चाहिए और प्रस्तुत करने चाहिए। निर्वाह दावों के लिए रसीदें आवश्यक नहीं हैं।

5. कौन व्ययों का दावा कर सकता है

निम्नलिखित व्यक्ति दावे कर सकते हैं:

- स्कॉटलैंड में किसी अस्पताल में देखभाल पा रहे अवयस्क भर्तीरोगी के माता/पिता/प्राथमिक देखभालकर्ता और (18 वर्ष से कम आयु के/की) भाई/बहन। समस्त दावाकर्ताओं को साधारणतः स्कॉटलैंड का निवासी होना चाहिए।

6. कौन व्ययों का दावा नहीं कर सकता है

निम्नलिखित व्यक्ति दावे नहीं कर सकते हैं:

- वे आगंतुक जो अवयस्क भर्तीरोगी के माता/पिता/प्राथमिक देखभालकर्ता या (18 वर्ष से कम आयु के) भाई/बहन नहीं हैं।
- वह कोई भी व्यक्ति जो बहिर्रोगी (आउटपेशेंट/भर्ती हुए बिना) देखभाल पाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के साथ आता है।
- वह कोई भी व्यक्ति जो साधारणतः स्कॉटलैंड का निवासी नहीं है।
- वह कोई भी व्यक्ति जो 26 जुलाई, 2021 से पहले उपगत हुए व्ययों का दावा करना चाहता है (ध्यान दें: 26 जुलाई से पहले नवजात देखभाल पाने वाले बच्चों के माता-पिता अभी-भी पूर्ववर्ती नवजात व्यय निधि के तहत पूर्व-प्रभावी आधार पर दावे कर सकते हैं)।

7. कौन-कौन से व्ययों का दावा किया जा सकता है

7.1 **परिवहन**
दावाकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे परिवहन के सबसे किफ़ायती और उचित साधनों का उपयोग करें।
एक ही दिन में अलग-अलग अस्पताल आ रहे प्रत्येक दावाकर्ता के लिए और 18 वर्ष तक की आयु के जो भी भाई/बहन साथ आ रहे हों उनके लिए प्रतिदिन अधिकतम एक आने-जाने की कार यात्रा के लिए प्रचलित माइलेज दर* प्रतिमील की दर से ईंधन की लागत के मद में अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि सभी लोग साथ आ रहे हैं, तो केवल एक आने-जाने की यात्रा का दावा किया जाना चाहिए।
[या]
प्रत्येक दावाकर्ता के लिए प्रतिदिन अधिकतम एक आने-जाने की यात्रा के लिए रसीदें प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक परिवहन की लागतों की संपूर्ण प्रतिपूर्ति दी जा सकती है। केवल मानक दर्जे (स्टेंडर्ड क्लास) की यात्रा का दावा किया जा सकता है।

*प्रतिपूर्ति की दर HMRC सलाह ईंधन दर (एडवाइज़री फ़्युएल रेट) पर आधारित है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं: https://www.gov.uk/government/publications/advisory-fuel-rates प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रतिपूर्ति दर का निर्धारण सलाह ईंधन दर द्वारा हर वर्ष 1 मार्च से अगले वर्ष के लिए किया जाएगा। ये दरें घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं।

7.2 **पार्किंग**
कार पार्किंग की संपूर्ण लागतों का दावा रसीदें जमा करके किया जा सकता है।
कुछ NHS बोर्डों में पार्किंग लागतों से छूट प्रदान करने के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है। स्टाफ़ बता सकता है कि परमिट उपलब्ध है या नहीं या दावाकर्ताओं को रीफ़ंड के लिए दावा करना चाहिए या नहीं।

7.3 **टैक्सी भाड़े**
टैक्सी द्वारा यात्रा को अंतिम विकल्प के रूप में देखना चाहिए और प्रतिपूर्ति पर केवल कुछ परिस्थितियों में ही विचार किया जाएगा, जैसे, सार्वजनिक परिवहन का उपलब्ध न होना या फिर आगंतुक की चिकित्सीय स्थिति के अधीन। यात्रा से पहले क्लीनिकल स्टाफ़ से टैक्सी यात्रा की स्वीकृति लेना आवश्यक है। स्वीकृत होने पर, प्रतिदिन अधिकतम एक आने-जाने की यात्रा के लिए रसीदें जमा करने पर टैक्सी यात्रा की संपूर्ण प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

7.4 **उड़ानें**
हवाई यात्रा केवल तब करनी चाहिए जब वह अन्य परिवहन साधनों से सस्ती हो या जहाँ अन्य परिवहन साधन उचित न हों (जैसे, किसी द्वीप से मुख्य भूमि की यात्रा)। यात्रा से पहले NHS बोर्ड से उड़ानों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। स्वीकृत उड़ानें प्रत्येक पात्र आगंतुक के लिए प्रति सप्ताह अधिकतम एक आने-जाने की हवाई यात्रा तक सीमित हैं।

7.5 **भोजन और निर्वाह**
निम्नलिखित में से **एक** माध्यम से भोजन हेतु दावे किए जा सकते हैं:

- भोजन और गैर-एल्कोहली पेयों के लिए प्रत्येक पात्र आगंतुक £8.50 प्रतिदिन की सीमा तक का अंशदान जारी किया जाएगा। इन्हें अस्पताल परिसर से बाहर खरीदा जा सकता है। भोजन लागतों की प्रतिपूर्ति पाने के लिए रसीदें आवश्यक नहीं हैं, हालाँकि, यदि लागतें £8.50 प्रतिदिन से कम हों तो दावाकर्ताओं को भोजन और गैर-एल्कोहली पेयों पर किए गए उनके वास्तविक व्ययों के लिए ही दावे प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई दावाकर्ता भोजन पर £5.50 व्यय करता है तो उसे केवल £5.50 का दावा करना चाहिए, £8.50 का नहीं।

[या]

- अस्पताल द्वारा पात्र आगंतुकों को भोजन सीधे और निःशुल्क प्रदान किए जा सकते हैं (जैसे, स्टाफ़ कैंटीन या रोगी भोजन) जो अधिकतम तीन भोजन प्रतिदिन तक सीमित होंगे।

[या]

- भोजन टोकन या वाउचर सीधे पात्र आगंतुकों को प्रदान किए जा सकते हैं जिन्हें वे अस्पताल कैंटीन या ऐसे ही अन्य स्थानों में प्रयोग कर सकते हैं।

आपके अस्पताल के अंदर की व्यवस्था के बारे में अधिक विवरण स्थानीय स्तर पर प्रदान किए जाएँगे। यदि अस्पताल निःशुल्क भोजन या भोजन टोकन प्रदान करता है तो पात्र आगंतुकों को भोजन की लागत का दावा करने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, उन मामलों में जहाँ अस्पताल भोजन के लिए मौद्रिक प्रतिपूर्ति या निःशुल्क अस्पताल भोजन में से कुछ भी प्रदान कर सकता हो वहाँ, पात्र आगंतुक तय कर सकते हैं कि उन्हें कौनसा विकल्प पसंद है।

7.6 **ठहराव-व्यवस्था**
NHS बोर्डों में आवश्यकता होने पर दावाकर्ताओं के लिए ठहराव-व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है और पहली बार में उन्हीं का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जहाँ अस्पताल में ठहराव-व्यवस्था उपलब्ध न हो वहाँ, उचित रात्रिकालीन ठहराव-व्यवस्था लागतों में अंशदान की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। जहाँ संभव हो वहाँ उसे स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा अग्रिम में बुक किया जाना चाहिए। उचित का अर्थ सबसे किफ़ायती उपलब्ध ठहराव-व्यवस्था से है।

8. कौन-कौन से व्ययों का दावा नहीं किया जा सकता है
इस योजना के तहत निम्नलिखित का दावा नहीं किया जा सकता है:
a) आय की हानि।
b) पार्किंग के जुर्माने।
c) बाल-देखभाल संबंधी लागतें।
d) कार किराये पर लेना।
e) आगंतुकों के वे व्यय जो निधि की कवरेज से बाहर हैं।
f) बहिर्रोगी (आउटपेशेंट/भर्ती हुए बिना) अपॉइंटमेंट के व्यय।
g) एल्कोहली पेय।
h) 1 अप्रैल, 2018 से पहले उपगत हुए नवजात व्यय।
i) 26 जुलाई, 2021 और इस निधि की स्थापना से पहले अवयस्क भर्तीरोगियों से मिलने आने से जुड़े यात्रा, ठहराव-व्यवस्था और/या निर्वाह व्यय। (यह अपवर्जन 26 जुलाई, 2021 से पहले नवजात शिशु संबंधी देखभाल पा रहे शिशुओं के माता-पिता और देखभालकर्ताओं पर लागू नहीं है। वे व्यक्ति अभी-भी 26 जुलाई, 2021 तक नवजात व्यय निधि के माध्यम से अनुमन्य व्ययों का दावा कर सकते हैं)।

9. अपवाद स्वरुप **परिस्थितियाँ**

9.1 **जुड़वाँ और दो से अधिक जुड़वाँ**
एक ही अस्पताल में नवजात या बाल देखभाल पा रहे जुड़वाओं या दो से अधिक जुड़वाओं के मामले में, दावाकर्ता एकल शिशु, बच्चे या अवयस्क व्यक्ति के रूप में समान स्थितियों के तहत प्रतिदिन एक दावा करने के पात्र हैं। दावा फ़ॉर्म में दोनों शिशुओं, बच्चों या अवयस्क व्यक्तियों के विवरण भरने चाहिए और अस्पताल स्टाफ़ से उस पर हस्ताक्षर लेने चाहिए।

यदि जुड़वाँ या दो से अधिक जुड़वाँ अलग-अलग अस्पतालों में हों तो प्रत्येक शिशु, बच्चे या अवयस्क व्यक्ति के लिए एक दावा किया जा सकता है और प्रत्येक शिशु, बच्चे या अवयस्क व्यक्ति की देखभाल के लिए प्रत्येक यूनिट/वार्ड द्वारा एक फ़ॉर्म भरकर उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9.2 **शोक**
यदि किसी शिशु, बच्चे या अवयस्क भर्तीरोगी का छुट्टी से पहले देहांत हो जाता है, तो भी आप उसके साथ बिताए समय के दौरान उपगत हुए व्ययों का दावा कर सकेंगे। आप अवयस्क भर्तीरोगी को शवगृह में, अंत्येष्टि निर्देशकों के पास या पारिवारिक घर में पहुँचा दिए जाने के बाद उपगत हुए किसी भी व्यय के लिए दावा नहीं कर सकेंगे।

10. दावा करना

दावे उस NHS बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए जहाँ अवयस्क भर्तीरोगी की देखभाल की जा रही है। यदि उपचार के दौरान अवयस्क भर्तीरोगी को स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रति अस्पताल, देखभाल के प्रत्येक प्रकरण के लिए अलग-अलग दावे करने चाहिए और उन पर संबंधित अस्पताल स्टाफ़ द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
उदाहरण के लिए: यदि आपके बच्चे की देखभाल ग्लासगो स्थित अस्पताल में होती है, तो NHS ग्रेटर ग्लासगो एंड क्लाइड के वार्ड में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा दावा फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसके बाद वह फ़ॉर्म NHS ग्रेटर ग्लासगो एंड क्लाइड की कैश टीम को दिए जाने चाहिए। यदि बाद में बच्चे को NHS डमफ़्राइज़ एंड गैलोवे के किसी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो आगे के दावों पर वहीं के वार्ड के हस्ताक्षर होने चाहिए और उन्हें NHS डमफ़्राइज़ एंड गैलोवे के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10.1 **दावा फ़ॉर्म**
वार्डों और कैश ऑफ़िसों में YPFF(1) दावा फ़ॉर्म उपलब्ध हैं। पहली बार, दावाकर्ताओं को अस्पताल स्टाफ़ से पूछना चाहिए कि उन्हें दावा फ़ॉर्मों की कागज़ी प्रतियाँ कहाँ से मिल सकती हैं। फ़ॉर्म पात्र अवयस्क भर्तीरोगी के दावाकर्ता द्वारा (या उसकी ओर से) भरा जाना चाहिए और फ़ॉर्म में दिए गए विवरण के अनुसार उसे हस्ताक्षरित व प्रमाणित होना चाहिए। इसमें किसी उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से प्राप्त प्रमाणन शामिल है। इसमें नवजात शिशु विशेषज्ञ, नवजात शिशु नर्सें, बालरोग चिकित्सक या बच्चे की देखभाल के लिए ज़िम्मेदार अन्य स्वास्थ्य पेशेवर शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

10.2 **पात्रता का प्रमाण**
ऐसे सभी मामलों में जिनमें व्ययों का दावा किया गया है, YPFF(1) फ़ॉर्म में अवयस्क भर्तीरोगी को भर्ती किए जाने का/के दिनांक और वार्ड के विवरण होने चाहिए और किसी स्वास्थ्य पेशेवर (जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है) द्वारा यह हस्ताक्षरित पुष्टि होनी चाहिए कि अवयस्क भर्तीरोगी दावे की अवधि के दौरान वार्ड में निवासी है/था। फ़ॉर्म पर संबंधित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर का हस्ताक्षर नहीं होने और/या उसमें जानकारी पूरी नहीं होने पर दावों में विलंब हो सकता है या वे अस्वीकार हो सकते हैं।

10.3 **संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण दावे**
ऐसे मामलों में जहाँ यह प्रतीत हो कि किसी दावाकर्ता ने जानबूझकर ऐसी लागतों के संबंध में सहायता हेतु आवेदन किया है जिनके लिए वह पात्र नहीं है तो मामले को धोखाधड़ी रोधी सेवाओं (काउंटर फ़्रॉड सर्विसेज़) के पास भेजा जाएगा। यदि खजांचियों (कैशियर) को यह संदेह हो कि दावा धोखाधड़ीपूर्ण है, तो वे अतिरिक्त जाँचें पूरी होने तक व्ययों का नकद भुगतान करने से मना कर सकते हैं। फलस्वरुप, दावाकर्ता को उसके व्यय मिलने में विलंब होगा।

10.4 **पूर्व-प्रभावी दावे**
अवयस्क भर्तीरोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने से तीन माह के अंदर दावे जमा कर दिए जाने चाहिए। इस अवधि के बाद में किए गए दावों पर, अपवाद स्वरुप परिस्थितियों को छोड़कर, प्रतिपूर्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। छुट्टी से पहले फ़ॉर्म पर उपयुक्त स्टाफ़ द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अपवाद स्वरुप परिस्थितियाँ दावा टीम के सामने विचार के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. पूछताछ या शिकायतें

किसी भी पूछताछ या शिकायत की दशा में, उसे उस अस्पताल के खजांची (कैशियर) के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ दावा किया जा रहा है या फिर उसे संबंधित वित्त टीम को भेजना चाहिए।

Scottish Government
Riaghaltas na h-Alba
gov.scot

© क्राउन कॉपीराइट 2022

OGL

यह प्रकाशन जहाँ अन्यथा कथित हो वहाँ को छोड़कर, मुक्त सरकारी अनुज्ञा (ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस) संस्करण 3.0 के नियमों के तहत अनुज्ञप्त है। यह अनुज्ञा देखने के लिए, **nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3** पर आएँ या Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU को पत्र लिखें या यहाँ ईमेल भेजें: **psi@nationalarchives.gsi.gov.uk**.

जहाँ हमने कोई तृतीय पक्ष कॉपीराइट जानकारी स्पष्ट की हो वहाँ के लिए आपको संबंधित कॉपीराइट धारकों से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

यह प्रकाशन **www.gov.scot** पर उपलब्ध है

इस प्रकाशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हमें इस पते पर भेजा जाना चाहिए

स्कॉटलैंड सरकार (The Scottish Government)
सेंट एंड्रयूज़ हाउस (St Andrew's House)
एडिनबर्ग (Edinburgh)
EH1 3DG

ISBN: 978-1-80201-508-9 (केवल वेब)

स्कॉटलैंड सरकार द्वारा मार्च 2022 में प्रकाशित

APS Group Scotland, 21 Tennant Street, एडिनबर्ग (Edinburgh) EH6 5NA द्वारा स्कॉटलैंड की सरकार के लिए निर्मित
PPDAS960166 (03/22)